27/5/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
प्रार्थी पक्ष [illegible] के [illegible] [illegible] जाता
है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर
पारित शामिल मिसल किया। पत्रावली फैसल
शुदा की नम्बर से खारिज पत्रावली
दाखिल [illegible] [illegible] में शामिल [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
152 / 2025	26.11.2025	27.04.2026

बउनवान

1. नेतराम यादव पुत्र श्री अमरसिंह यादव जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128
भू0 राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी वकील –: श्री अनिल यादव

प्रार्थना पत्र पत्थर गडी वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर की कराये जाने बाबत निम्न पेश है –

1. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 484 रकबा 0.15 हैक0, वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है, जो आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि उक्त आराजी मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी है जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है जिस पर मिन प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। तथा वर्तमान में प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। मिन प्रार्थी की आराजी पर अन्य पडोसी खातेदारान अतिक्रमण करने पर उतारू है जिस बाबत मिन प्रार्थी ने अदालत श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान बाबत पेश किया जिस पर तहसीलदार मुण्डावर के आदेश की पालना में आराजी ख0 नं0 हाल 484 रकबा 0.15 है0, वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान का दिनांक 13 / 10 / 2025 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। इसलिये अब मिन प्रार्थी अपनी उक्त आराजी की पत्थर गढी कराना चाहता है जिसके लिये यह मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक आया है।
3. यह है कि मिन प्रार्थी सीधा सज्जन व्यक्ति है इसलिये आराजी के अन्य पडोसीयान मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा ना कर ले इसलिये कानूनन रूप से पत्थर गडी बाबत प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी ख0 नं0 हाल 484 रकबा 0.15 हैक0, वाके ग्राम पदमाडा खुर्द

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान की दिनांक 13ध्10ध्2025 की पैमाईश के अनुसार पत्थर गडी कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पटवारी मौका पर्चा रिपोर्ट पेश की।

प्रार्थी की ओर से विनम्रतापूर्वक निम्न संक्षिप्त बहस प्रस्तुत की जाती है –

राजस्व अभिलेखों में अधिकार स्पष्ट

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया है कि विवादित आराजी खसरा नं. 484 रकबा 0.15 हैक्टेयर, ग्राम पदमाडा खुर्द में स्थित है, जो राजस्व अभिलेखों (जमाबन्दी) में विधिवत रूप से प्रार्थी के हिस्से में दर्ज है। अतः प्रार्थी का उक्त भूमि पर वैध स्वामित्व एवं कब्जा सिद्ध है।

सीमाज्ञान (Demarcation) हो चुका है

माननीय तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार दिनांक 13/10/2025 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान विधिवत कराया जा चुका है। इससे भूमि की सीमाएं स्पष्ट एवं विवाद रहित हो चुकी हैं।

पत्थर गढ़ी आवश्यक है

सीमाज्ञान के उपरांत भी पड़ोसी खातेदारों द्वारा अतिक्रमण की आशंका बनी हुई है। ऐसी स्थिति में स्थायी रूप से सीमा चिन्ह स्थापित करने हेतु पत्थर गढ़ी (Boundary Marking) कराया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

अप्रार्थी की अनुपस्थिति

अप्रार्थी को विधिवत नोटिस तामील करवाया गया, परंतु वह उपस्थित नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही विधिसम्मत रूप से की गई है। इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी के तथ्यों का कोई खंडन नहीं किया गया।

साक्ष्य प्रस्तुत

प्रार्थी द्वारा पटवारी की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो प्रार्थी के कथनों की पुष्टि करती है तथा भूमि की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, आराजी खसरा नं. 484 रकबा 0.15 हैक्टेयर, ग्राम पदमाडा खुर्द, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा की दिनांक 13/10/2025 की पैमाइश के अनुसार पत्थर गढ़ी कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

संक्षिप्त विवेचन

प्रकरण में प्रार्थी ने धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विवादित आराजी खसरा नं. 484 रकबा 0.15 हैक्टेयर, ग्राम पदमाडा खुर्द की पत्थर गढ़ी कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा प्रार्थी वर्तमान में काबिज काश्तकार है। प्रकरण में दिनांक 13/10/2025 को सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार सीमाज्ञान (पैमाइश) कराया जा चुका है, जिससे भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो चुकी हैं।

अप्रार्थी को विधिवत तामील कराई गई, किन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ, फलस्वरूप एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पटवारी मौका रिपोर्ट एवं अभिलेखों से प्रार्थी का कथन पुष्ट होता है।

ऐसी स्थिति में, भूमि की सीमाओं को स्थायी रूप से चिन्हित करने एवं भविष्य में संभावित विवाद/अतिक्रमण को रोकने हेतु पत्थर गढ़ी कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर 484 रकबा 015 है0 वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान के संबंधित एवं सीमावर्ती काश्तकारों को विधिवत सूचना देकर पुनः पैमाइश कराई जाकर विधि अनुसार पत्थरगढ़ी (सीमांकन) की कार्यवाही की जाए। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner